

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT - II),  
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं.लेप II / प्रशा./संघ. / पुनः सत्यापन / 9-4/2023-24/  
No.Au II/Admn/Assoc/Re-verif/9-4/2023-24/

दिनांक: 09.05.2023

परिपत्र / CIRCULAR NO.12

विषय : सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 के तहत सेवा संघों की सदस्यता का पुनः सत्यापन संबंधी  
Sub: Re-verification of membership of Service Associations under the CCS (RSA) Rules, 1993-reg.

मुख्यालय कार्यालय ने निम्नलिखित सेवा संघों की सदस्यता के पुनः सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है:  
The headquarters office has initiated the process of re-verification of membership of the following service Associations:


1. वरि.लेप.अधिकारी (वाणिज्यिक) का अखिल भारतीय संघ  
All India Association of Sr. AOs (Commercial)
2. सहा.लेप.अधिकारी (वाणिज्यिक) का अखिल भारतीय संघ  
All India Association of AAOs (Commercial)

इसलिए, यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संघों के सदस्य बनने के इच्छुक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वा) और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वा) को अपने संबंधित संघों के माध्यम से संबंधित डीडीओ को इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

Hence, it is hereby informed that Sr.Audit Officers (C) and Assistant Audit Officers (C) willing to become members of the above associations have to submit letters of authorization in the prescribed proforma enclosed herewith to the DDO concerned through their respective Associations.

(प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से जारी।)

This is issued with the approval of Principal Accountant General.)

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)  
Sr.AUDIT OFFICER (ADMN.)

सेवा में /To

1. वरि.लेप.अधिकारी/ ए एम जी II मुख्या I / Sr.AO /AMG II HQ I
2. वरि.लेप.अधिकारी / ए एम जी II मुख्या II/ Sr.AO /AMG II HQ II

3. वरि.लेप.अधिकारी / ए एम जी II मुख्या III/ Sr.AO /AMG II HQ III
  4. वरि.लेप.अधिकारी / ए एम जी II मुख्या III /Sr.AO /AMG II HQ III
  5. वरि.लेप.अधिकारी / ए एम जी II मुख्या IV / Sr.AO /AMG II HQ IV
  6. वरि.लेप.अधिकारी / रिपोर्ट ए एम जी II/ Sr.AO /Report AMG II
  7. वरि.लेप.अधिकारी / रिपोर्ट सी ओ पी यू/ डी पी सेल/ Sr.AO /Report CoPU/ DP Cell
  8. वरि.लेप.अधिकारी /आर ए ओ टी ए/ Sr.AO /RAO/TA
  9. वरि.लेप.अधिकारी /आर ए ओ/ ई सी ए/ Sr.AO /RAO/ECA
  10. सूचनापट्ट Notice Board
- u. PA's Sect.